

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No---

Dated-27-2-2015

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.124 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Gramya Vikash Vibhag for Construction of Rawatsera to Manakbhata M/R in Bageshwar district falls within jurisdiction of Devalvisral, Manakbhata, Digoli village in kanda tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 to 30.4 annexure.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(Bhupal Singh Manral)
District Collector

जिलाधिकारी
बागेश्वर

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT-BAGESHWAR (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Bhupal Singh Manral I.A.S District Collector on dated 27-2-2015 at time 11.00 AM at Bageshwar in which application claiming rights in Civil Soyam forest area measuring 4.124 hect for the construction of Rawatsera to Manakbhata M/R forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bageshwar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- Bageshwar

Dated 27-2-2015


Bhupla Singh Manral
District Collector
District Level Committee

जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा से मानकभाटा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रावतसेरा से मानकभाटा मोटर मार्ग (0.198 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.961 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.965 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.124 हे0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील काँडा) की दिनांक 24/01/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीश्रीखा कोहली, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1	श्रीश्रीखा कोहली	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री एस0एन त्रिपाठी	उपप्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3	श्री अरुण सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4	श्रीप्रती सुनीता देवी	बे0डी0सी क्षेत्र- जिला पंचायत काँडा	सदस्य सुनीता देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रावतसेरा से मानकभाटा मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.124 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभागप्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सम्मक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रावतसेरा से मानकभाटा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.124 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-बागेश्वर

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा से मानकभाटा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- मानकभाटा ,

तहसील- काँडा जिला-बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत रावतसेरा से मानकभाटा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.198 हे० आरक्षित वन भूमि, 2.961 हे० सिविल सोयम भूमि 0.965 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 4.124 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मानकभाटा द्वारा दिनांक 24/01/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम देवलविसराल, मानकभाटा, दिगोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

मुहर सहित

मीनक्षी देवी

ग्राम देवलविसराल
वि०ख० बागेश्वर जिला-बागेश्वर

मीनक्षी देवी

ग्राम प्रधान/सरपंच

ग्राम पंचायत मानकभाटा

वि०ख०/जिला-बागेश्वर

मुहर सहित

किशन राम

प्रधान

ग्राम पंचायत देवलविसराल
वि०ख० बागेश्वर जिला-बागेश्वर

सोधा देवी

प्रधान

ग्राम पंचायत मानकभाटा
वि०ख० बागेश्वर जिला-बागेश्वर

दिनांक 24/12/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- देवल बिसराल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	पुष्पा देवी (पति) फकिर राम	पुष्पा देवी
(2)	लीला देवी (पति) धन राम	लीला देवी
(3)	अन्धू देवी (पति) जगदीश राम	अन्धू देवी
(4)	ललित राम 5/0 मोहन राम	लालू 0. राम
(5)	करम राम 5/0 धन राम	करम राम
(6)	हर राम 5/0 हिरा राम	हर राम
(7)	जगद राम 5/0 सुजान राम	जगद राम
(8)	शीला देवी (पति) जगदीश राम	शीला देवी
(9)	प्रागा देवी (पति) जगद राम	प्रागा देवी
(10)	मोहन राम 5/0 गणेश राम	मोहन राम
(11)	धन राम 5/0 देवू राम	धन राम
(12)	राजेश राम 5/0 देवू राम	राजेश राम
(13)	कमल राम 5/0 नवीन राम	Kamal Ram
(14)	दलीप राम 5/0 लक्ष्मण राम	दलीप राम
(15)	किशन राम 5/0 अजराम	किशन राम
(16)	चन्दा राम 5/0 ललित राम	चन्दा राम
(17)	देव राम 5/0 पुत्र राम	देव राम
(18)	वत्सी देवी (पति) गोपाल राम	वत्सी देवी
(19)	विजय कुमार 5/0 डिगल राम	विजय कुमार
(20)	बेजय कुमार 5/0 जोगाराम	बेजय कुमार
(21)	नल राम 5/0 देव राम	नल राम
(22)	फकिर राम 5/0 पुत्र राम	फकिर राम
(23)	फकिर राम 5/0 जवाहर राम	फकिर राम
(24)	वीमला देवी (पति) प्रवेश राम	वीमला देवी
(25)	भारती देवी (पति) दिवान राम	भारती देवी
(26)	आन्दू देवी (पति) बसन्त राम	आन्दू देवी
(27)	कशोली देवी (पति) गोपाल राम	कशोली देवी
(28)	कुन्दन राम 5/0 मोहन राम	कुन्दन राम
(29)	हरीश राम 5/0 ललित राम	हरीश राम
(30)	नवीन राम 5/0 ललित राम	नवीन राम

ग्राम प्रधान

किशन राम

प्रधान

ग्राम पंचायत देवल बिसराल
दिनांक 24/12/20

दिनांक 29/01/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- दिगोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	Rampal Singh	Rampal
	बिलोको सिंह	Bilok Singh
	भगवान सिंह	भगवान सिंह
	संतोष सिंह	संतोष सिंह
	सुखान सिंह	सुखान सिंह
	सुन्दर सिंह	Sunder Singh
	ग्यान सिंह	ग्यान सिंह
	Rahul Singh	Rahul Singh
	संजय सिंह	Sanjay
	पान सिंह	पान सिंह
	अंजु सिंह	Anju
	दिवान सिंह	दिवान सिंह
	शमशेर सिंह	Shamsher Singh
	देवकी देवी	देवकी
	नीमा	नीमा
	मल्ल सिंह	मदन सिंह

ग्राम प्रधान
 श्रीमती प्रियंका
 ग्राम पंचायत दिगोली
 वि०ख०/जनपद-बागेश्वर
 (उत्तराखण्ड)

